

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I--Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 1973/वैशाख 28, 1895

No. 111]

NEW DELHI, FRIDAY MAY 18, 1973/VAISAKHA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह घलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 18th May 1973

No. DRAWBACK/PN-20/73.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra Ordinary, dated in the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments the table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—in

2. For sub-Serial No. 2508 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub- Sl. No.	Description of Goods	Rate of drawback
(1)	(2)	(3)
2508	(a) Sisal Ropes manufactured in accordance with BSS 2052/1953.	Rs. 533.00 (Rupees five hundred and thirty three only) per tonne.

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the Shipping Bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such sisal ropes have been wholly manufactured from grades 1, 3—L, 2, 3 and UG of sisal fibre.

- (b) Manila Ropes manufactured in accordance with B.S.S. 2052/1953. Rs. 1212.68 (Rupees one thousand two hundred twelve and paise sixty eight only) per tonne.

Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the Shipping Bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such manila ropes have been wholly manufactured from grades 1, 5—2, 5—3 (Davas) and G (Davas) of manila hemp fibres.

- (a) All other ropes, lines cordages, twines and slings made wholly or partly from sisal fibre and/or manila hemp fibre :

(i) Sisal fibre content. Rs. 486.18 (Rupees four hundred eighty six and paise eighteen only) per tonne.

(ii) Manila Hemp fibre content. Rs. 813.90 (Rs. eight hundred thirteen and paise nineteen only) per tonne.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 1973

सं० प्रतिअदायगी/1०एम०-20/73.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. उप-क्रम सं० 2508 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
(1)	(2)	(3)
2508.	(क) बी० एस० एस० 2052/1953 के अनुसार विनिर्मित सिसल रस्से ।	533.00 रुपये (केवल पांच सौ तैंतीस रुपये) प्रति टन ।
परन्तु उक्त दर केवल तब लागू होगी जबकि विनिर्माता निर्यात के समय शिपिंग बिल पर यह प्रमाणित करे तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य भी पेश करे कि ऐसे सिसल रस्सों का निर्माण पूर्णतया सिसल तन्तु के ग्रेड 1, 3—एल, 2, 3 तथा यू० जी० से किया गया है ।		

(1)

(2)

(3)

(ख) वी० एस० ए० 2052/1953 के 1212.68 रुपये (केवल एक हजार दो सौ अनुसार विनिर्मित मनीला रस्से । बारह रुपये तथा अड़सठ पैसे) ।

परन्तु उक्त दर केवल तब लागू होगी जबकि विनिर्माता निर्यात के समय शिपिंग बिल पर यह प्रमाणित करे तथा सीमाशुल्क समायोजन के समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य भी पेश करे कि ऐसे मनीला रस्सों का निर्माण पूर्णतया मनीला सन तन्तुओं के ग्रेड 1, एस-2, एस-3 (दावाओं) तथा जी (वावाओं) से किया गया है ।

(ग) पूर्णतः अथवा भागतः सिसल तन्तु तथा/
अथवा मनीला सन तन्तु से बने अन्य
सभी रस्से, लाइनें, जहाज के रस्से,
टुआइन तथा स्लिंग्स:—

- | | |
|--------------------------------|--|
| (i) सिसल तंतु अन्तर्वस्तु | 486.18 रुपये (केवल चार सौ छयासी रुपये तथा अठारह पैसे) प्रति टन । |
| (ii) मनीला सन तंतु अन्तर्वस्तु | 813.90 रुपये (केवल आठ सौ तेरह रुपये तथा नव्वे पैसे) प्रति टन । |

No. DRAWBACK PN-21/73.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For Sub-Serial Nos. 902, 903 and 904 and the entries relating thereto, the following shall be substituted with effect from 15-2-1973 :—

Sub-Serial No.	Description of Goods	Rate of Drawback
(1)	(2)	(3)
902.	Pipe or Cigarette Tobacco in the manufacture of which tobacco of foreign origin (other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin) has been used.	Rs. 30-60 (Rupees thirty and paise sixty only) per kg. of foreign tobacco content other than of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin contained in the pipe or cigarette tobacco.

Provided that—

- Drawback at this rate shall be paid in respect of only such pipe or cigarette tobacco as has been manufactured by a person who has been registered for this purpose by the Collector of Customs in whose jurisdiction such pipe or cigarette tobacco is manufactured ;
- the pipe or cigarette tobacco is manufactured under the supervision of the Customs or Central Excise Officers ;
- the pipe or cigarette tobacco is packed in tamper proof sealed containers bearing on their outside detailed description of the goods; and
- the quantity of foreign tobacco other than tobacco of Burma, Pakistan, Nepal, Bhut^a or Sikkim origin, contained in the pipe or cigarette tobacco being exported is established to the satisfaction of the Customs Collector.

903	Cigarettes in the manufacture of which tobacco of foreign origin (other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin) has been used.	Rs. 30.60 (Rs. thirty and paise sixty only) per kg. of foreign tobacco content other than of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan, or Sikkim origin contained in the Cigarettes.
-----	---	--

Provided that :

- Drawback at this rate shall be paid in respect of only such cigarettes as have been manufactured by a person who has been registered for this purpose by the Collector of Customs in whose jurisdiction such Cigarettes are manufactured ; and
- the quantity of foreign tobacco other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim origin contained in the Cigarettes being exported is established to the satisfaction of the Collector of Customs.

904	Cigar in the manufacture of which cigar wrapper tobacco of foreign origin (other than cigar wrapper tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Sikkim Origin) has been used.	Rs. 30.60 (Rupees thirty and paise sixty only) per kg. of foreign cigar wrapper tobacco content other than of Pakistan, Nepal, Burma, Bhutan or Sikkim origin used in the manufacture of cigar.
-----	--	---

Provided that :—

- the packages of the imported materials have been verified by the Custom Collector and sealed with customs seal before delivery at the port of import ;
- the sealed packages have been opened and the imported materials used for the manufacture with the permission of central excise officer-in-charge of the factory in which the Cigars are manufactured.
- the manufacturer has maintained such accounts of the use of the imported Cigar wrapper tobacco as may be prescribed by the Assistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory in which the Cigars are manufactured is situated ; and
- the exporter is made under Form AR-4 (Central Excise Series No. 60) prescribed under Central Excise Rules, 1944.

C. BHUJANGASWAMY
Joint Director (Drawback)

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-21/73 :— सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 902, 903 और 904 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए, 15-2-1973 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

(1)	(2)	(3)
उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
902.	पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू जिसके निर्माण में विदेशी तम्बाकू (पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम में निर्मित तम्बाकू से भिन्न तम्बाकू) इस्तेमाल किया गया है।	पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू में निहित पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू अन्तर्बस्तु का 30.60 रुपये (केवल तीस रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

(1)

(2)

(3)

परन्तु यह तब जब कि :—

- (क) पाईप अथवा सिगरेट के केवल ऐसे तम्बाकू के सम्बन्ध में इस दर पर प्रति अदायगी की जायेगी जो उस व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया हो जिसे इस निमित्त उस सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत किया गया हो जिसके क्षेत्राधिकार में पाइप अथवा सिगरेट का इस प्रकार का तम्बाकू निर्मित किया जाता हो;
- (ख) पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू का निर्माण सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाता है;
- (ग) पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू ऐसे सीलबन्द डिब्बों में पैक किया जाता है जिनमें रद्दीबदल नहीं किया जा सकता तथा जिनके बाहर की तरफ माल का विस्तृत व्यौरा निर्दिष्ट किया गया हो; और
- (घ) बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किये जा रहे पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू में विद्यमान है, उसके सम्बन्ध में सीमाशुल्क समाहर्ता का समाधान कर लिया गया है।

903. सिगरेट जिनके उत्पादन में (पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम के तम्बाकू से भिन्न) विदेशी तम्बाकू इस्तेमाल किया गया है।

सिगरेटों में विद्यमान पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू अन्तर्बस्तु का 30) . 60 रु० (केवल तीस रुपये साठ पैसे प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब जब कि :—

- (क) इस दर पर प्रतिअदायगी केवल ऐसी सिगरेटों पर दी जायेगी जो उस व्यक्ति द्वारा निर्मित किया जाता है जिसे इस प्रयोजन के लिए उस सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत किया गया हो जिसके क्षेत्राधिकार में पाइप अथवा सिगरेट का ऐसा तम्बाकू निर्मित किया जाता है;
- (ख) पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किये जाने वाले सिगरेटों के तम्बाकू में विद्यमान है, उसके सम्बन्ध में सीमाशुल्क समाहर्ता का समाधान कर लिया गया है।

904. सिगार जिनके निर्माण में (पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान अथवा सिक्किम के सिगार रैपर तम्बाकू से भिन्न) विदेशी सिगार रैपर तम्बाकू का इस्तेमाल किया गया है।

सिगार के विनिर्माण में प्रयुक्त पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान अथवा सिक्किम से भिन्न विदेशी सिगार रैपर तम्बाकू अन्तर्बस्तु का 30. 60 रु० (तीस रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब जब कि ---

- (क) आयात की गयी सामग्रियों के पैकेजों की सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा तस्दीक कर ली गयी है और आयात के पत्तन पर उनके वितरण से पूर्व उन पर सीमाशुल्क विभाग की मोहर लगा दी गयी है ।
- (ख) जिस कारखाने में सिगारों का निर्माण किया जाता है उसके कार्यभारी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी की अनुमति से सीलबन्द पैकेज खोले जाते हैं और आयात की गयी सामग्रियों का निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।
- (ग) आयात किये गये सिगार रैपर तम्बाकू के इस्तेमाल के सम्बन्ध में निर्माता ने ऐसे ढंग से खाता रखा है जो सिगार के निर्माण के कारखाने के स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले महायक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ता द्वारा निर्धारित किया हो, और
- (घ) निर्यात, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के अधीन निर्धारित फार्म ए० आर०-4 (के०उ०शु० श्रृंखला सं० 60) के अन्तर्गत किया जाता है ।

सी० भुजंगस्वामी,

संयुक्त निदेशक (प्रतिभ्रदायगी)